98

30

भाग 1 (ख)

KAILA DEVI SANCTUARY

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 19, 1983

संख्या प.11(27)राज-ग्रुप-8/83:--वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) जो कि भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ.11014।3।72एफ. आर. आई.।डब्ल्यू।एल.।एफ., दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है की धारा 18 (1) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में आने वाली भूमि को इनकी परिस्थितियों, प्राणी जातीय, वनस्पतीय भू-संरचना, सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी जातीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतदद्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है। जिसे भविष्य में केला देवी अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची

उत्तरी सीमा:--दौलतपुरा ब्लाक के कम्पार्टमेंट नं. 29 की पश्चिमी सीमा जो इसे दौलतपुरा ग्राम की भूमि से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 27 की प. सीमा जो इसे क. सं. 30 से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 27 की उ. सीमा, क. नं. 21, 17 की प. सीमा जो इन्हें नेनया की गुवाडी ग्राम की भूमि से अलग करती है।

दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 16 की प. सीमा जो इसे दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 15 से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 10 की प. एवं उ. सीमा जो इसे दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 9 से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 11 की सीमा जो दौलतपुरा ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

मरमदा ब्लाक क. नं. 27, 19, 18, 9, 8, 1, 3 एवं 4 की सीमा जो मरमदा ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

वीरम की गुवाडी ब्लाक बी के क. नं. 26 की उ. सीमा जो बीन की ग्वाडी ब्लाक की सीमा भी है व इसी कम्पार्टमेंट की पू. सीमा जो इसे अलबत की ग्वाडी ग्राम की भूमि से अलग करती है।

अलबत की ग्वाडी के क. नं. 5 की उ.-पूर्वी सीमा जो अलबत की ग्वाडी के क. नं. 4 व 8 को अलग करती है।

अलबत की ग्वाडी के क. नं. 7 व 17 की पूर्वी सीमा जो इसे अलबत की ग्वाडी के क. नं. 8 से अलग करती है। वीरम की ग्वाडी ब्लाक के क. नं. 18 की उ. पूर्वी सीमा जो इसे अलबत की ग्वाड़ी के क. नं. 15 व राहर ग्राम की भूमि से अलग करती है।

चिरमिलखो क. नं. 1, 2, व 3 की उ. सीमा जो चिरमिलखो ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है। चिरमिलखो, क. नं. 4 व 9 की उ. पू. सीमा जो चिरमिलखो की ब्लाक बाउण्ड्री भी है तथा जो "बराये का पुरा" तथा "बणीजारा ग्राम" की भूमि को अलग करती है।

अलबत की ग्वाड़ी के क. नं. 13 की व. पू. एवं उ. सीमा जो इस अलबत की ग्वाडी के क. नं. 11, 15, 16 एवं ग्राम बणीजारा तथा अमरीकी की भूमि को अलग करतो है।

अलबत की ग्वाडी के क. नं. 12 की उ. पू. सीमा जो इस अलबत की ग्वाडी के क. न. 11 व राती ग्राम की भूमि से अलग करती है।

काकडदा ब्लाक के क. न. 29, 30, व 31 की उ. प. सीमा जो इसे काकडदा ब्लाक के क. नं. 23, 24 व 25 से अलग करती है।

पूर्वी सीमा:--नीदर ब्लाक के क. नं. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 एवं 12 की उ. सीमा जो ब्लाक नीदर की ब्लाक बाउण्ड्री भी है। नीदर ब्लाक के क. न. 12, 17 एवं 19 की उ. पू. सीमा जो नीदर ब्लाक की बाउण्ड्री भी हैं वहां से नीदर तालाब के बांध के सहारे-सहारे होते हुए नीदर ब्लाक के क. नं. 24, 28 की पूर्वी सीमा क. नं. 30 की उ. पू. सीमा, क. नं. 31 की उ. पू. द. सीमा क. नं. 30 की द. सीमा क. न. 29 की द. प. सीमा, क. न. 27 व 26 की द. सीमा। उक्त सभी सीमाएं ब्लाक नीदर की ब्लाक बाउण्ड्री भी हैं। नीदर ब्लाक के क. नं. 25, क. न. 22, क. नं. 20 व क. नं. 6 की सीमाए जो नीदर ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी हैं। चिरमिलखो के क. नं. 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 40, 41, 39, 38, 42, 49, 50, 51, 54, 55, 60 की सीमाएं जो चिरमिलखो ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

दक्षिणी सीमा:--बीरमा की ग्वाडी के क. न. 13 की व. पू. सीमा जो गाढी गांव की भूमि को अलग करती है बीरम की ग्वाडी के क. नं. 10 व. पू. सीमा जो इसे क. नं. 11 व 12 से अलग करती है। नीबाहेरा ब्लाक के क. नं. 14 की द. पू. एवं पू. उ. सीमा जो इसे क. नं. 23 एवं 24 तथा आशा की ग्वाडी गांव की भूमि से अलग करती हैं वीरम की ग्वाडी के क. न. 3, 4, 6 व 7 की सीमा जो बीरम की ग्वाडी ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है। नीबाहेरा ब्लाक क. नं. 34 की सीमा जो नीबाहेरा ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है एवं क. नं. 17 की पू. सीमा जो इसे क. नं. 20 से अलग करती है। नीबाहेरा ब्लाक क.नं. 16, 18, 19 की सीमा जो नीबाहेरा ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

किला उदयगीर-देवगिर के क. नं. 1, 2 6, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 14, 13, 12 एवं 11 की सीमायें जो किला उदयगिर, देवगिर ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

कनरदा ब्लाक के क. नं. 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15,16,17,19,20,6,5,4 की सीमायें जो कनरवा ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

पश्चिमी सीमा :—बालेर ब्लाक के क. सं. 1,2,3,4 की प. सीमा जो बालेर ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है। डांग बुधपाल ब्लाक के क. नं. 1,2,3,4,5,6,7 की सीमायें जो डांग बुधपात ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है। सीमर खो (अ) ब्लाक के क. नं. 1,2,3,4,7 की सीमा जो सीमर खो ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है। सीमर खो ब्लाक के क. नं. 7 की उ. सीमा जो इसे सीमर खो ब्लाक क. नं. 12 से अलग करती है। सीमर खो क. नं. 8 की उ. एवं उ. पू. सीमा जो इसे क. नं. 13,14,15 से अलग करती है। सीमर खो के क. नं. 9 की उ. एवं उ.प. सीमा जो इसे क. नं 14 से अलग करती है। कालाखेत ब्लाक के क.नं. 3,4,5,6,7,8,12,11,13,16 की सीमाओं में जो कालाखेत ब्लाक की ब्लाक बाउण्ड्री भी है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ए. एम. लाल,
शासन सचिव।

कृषि (ग्रुप-11) विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 25, 1983

संख्या एफ. 4 (55) कृषि/बायोगैस/83:—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2) की आज्ञा संख्या प. 7 (19) प्र. सु./3/82 दिनांक 4-12-82 के 3 स. (6) के अनुसार धौलपुर, जयपुर व चित्तौडगढ जिलों की राज्य स्तरीय बायोगैस सम्बन्धी स्थाई उप समिति के सदस्यों के रूप में जिला प्रमुखों द्वारा प्रस्तावित निम्नांकित प्रधानों को मनोनीत किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	प्रधान का नाम	पंचायत समिति	जिले का नाम
1.	श्री मुरारी लाल शर्मा	धौलपुर	धौलपुर
2.	" रवीन्द्र सिंह	राजाखेडा	धौलपुर
3.	" मुलम सिंह	बसेडी	धौलपुर
4.	" विनोद शर्मा	दौसा	जयपुर
5.	" हनुमान व्यास	शाहपुरा	जयपुर
6.	सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव	कोटखावदा	जयपुर
7.	प्रधान, पं. स. बेगू	बेगू	चित्तौडगढ
8.	प्रधान, पं. स. प्रतापगढ	प्रतापगढ	"
9.	प्रधान, पं. स. राशिम	राशिम	"

राकेश हूजा,
शासन उप सचिव,
परियोजना सृजन।

कृषि (ग्रुप-2 बी) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 27, 1983

संख्या प.10(17)कृषि/ग्रुप-2बी/75:—जैसा कि राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति संख्या प. 10(17)कृषि/ग्रुप-2बी/75, दिनांक 5-10-81 द्वारा मुख्य मंडी यार्ड, किशनगढ़—रेनवाल की घोषणा की थी। अब क्योंकि कृषि उपज मंडी समिति, किशनगढ़—रेनवाल ने जोबनेर, फुलेरा एवं सांभर में भी गौण मंडी यार्ड की स्थापना की है अतः राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार राज्य सरकार घोषणा करती है कि:—

1. गौण मंडी यार्ड जोबनेर से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा जिसकी सीमायें:—

   पूर्व में—रामकुई
   पश्चिम में—हनुमानजी का मन्दिर
   उत्तर में—सुनारों की बगीची
   दक्षिण में—जोबनेर माता का पहाड।

2. गौण मंडी यार्ड, फुलेरा से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा जिसकी सीमायें:—

   पूर्व में—कूकू बाबा की बगीची
   पश्चिम में—पुराने फुलेरा का चौराहा
   उत्तर में—इन्दिरा बाजार का कब्रिस्तान
   दक्षिण में—चुंगी नाका नम्बर तीन (3) रेल्वे फाटक।

3. गौण मंडी यार्ड, सांभर से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा जिसकी सीमायें:—

   पूर्व में—देवयानी
   पश्चिम में—रेल्वे क्रासिंग, सांभर साल्ट फाटक, चुंगी नाका नम्बर 1 (एक)
   उत्तर में—क्यार नम्बर 8 (आई) साल्ट चौकी नम्बर 1 (एक)
   दक्षिण में—शाकम्बरी विद्यालय।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार विज्ञप्त करती है कि गौण मंडी यार्ड, जोबनेर, फुलेरा एवं सांभर की सीमाओं से क्रमशः नगरपालिका क्षेत्र जोबनेर, फुलेरा एवं सांभर की सीमाओं तक कोई स्थानीय प्राधिकारी किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के इस प्रकाशन की तारीख या उसके पश्चात् उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए विज्ञप्त किसी भी कृषि उपज के क्रय विक्रय के लिये कोई स्थान नहीं जमायेगा, स्थापित किये जाने जमाये जाने, या कायम रखे जाने की अनुमति नहीं देगा।

आगे राजस्थान सरकार घोषणा करती है कि इस विज्ञप्ति में धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित क्षेत्र मुख्य मंडी होगा। जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (10) के अन्तर्गत परिभाषित है।

आज्ञा से,
श्यामदास मदान,
उप शासन सचिव।